न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

(1) अपील संख्या :-02/2017/भीलवाड़ा (2017/00003)

1. श्रीमती सरोज मेहता पत्नी राजेश मेहता, निवासी ई- 45, जमना नगर, सोडाला, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती राजी पत्नी स्व0 मांगू गुर्जर, निवासी सांखरिया खेड़ा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा ।
2. ग्राम पंचायत सीदडियास तहसील एवं जिला भीलावड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सीदडियास, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 4.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 32/2013.

उपस्थितः-

1. श्री सुमित जैन, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित ।

(2) अपील संख्या :-04/2017/भीलवाड़ा (2017/00002)

1. श्रीमती सरोज मेहता पत्नी राजेश मेहता, निवासी ई- 45, जमना नगर, सोडाला, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मीना समदानी पत्नी सत्यनारायण समदानी, निवासी ए- 345, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा ।
2. ग्राम पंचायत सीदडियास तहसील एवं जिला भीलावड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सीदडियास, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 4.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 29/2013.

उपस्थितः–

1. श्री सुमित जैन, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 3 अनुपस्थित ।

(3) अपील संख्या :–03/2017/भीलवाड़ा (2017/00001)

2. श्रीमती सरोज मेहता पत्नी राजेश मेहता, निवासी ई– 45, जमना नगर, सोडाला, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती कमलादेवी पत्नी रामेश्वरलाल विजयवर्गीय, निवासी 62, बालाजी मार्केट, भीलवाड़ा ।
2. ग्राम पंचायत सीदडियास तहसील एवं जिला भीलावड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सीदडियास, तह0 व जिला भीलवाड़ा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 4.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 33/2013.

उपस्थितः–

1 श्री सुमित जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री शिशिर विजयवर्गीय, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 25.1.2018

अपीलांट ने तीन अलग–अलग अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.6.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं । तीनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार

समान होने तथा कानूनी विवाद बिन्दु समान होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे । xx

1- तीनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008, नामांतकरण संख्या 760 दिनांक 6.4.2011 एवं नामांतकरण संख्या 837 दिनांक 12.6.2012 बाबत् तीन अलग–अलग अपीलें श्रीमती राजीदेवी, श्रीमती मीना समदानी एवं श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत सीदडियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गई कि वाके ग्राम साखरिया खेड़ा पटवार हल्का सीदडियास के खतौनी नंबर 198 में आराजी नंबर 979/104 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलांट द्वारा दिनांक 1.9.2007 को मूल खातेदार मांगू पुत्र सूरजमल गुर्जर से जरिये पंजीकृत विक्रय से क्रय की एवं क्रय दिनांक से उक्त आराजी पर काबिज हो गये । अप्रार्थी संख्या 1 अन्य व्यक्तियों को साथ में लेकर मौके पर आये एवं उक्त भूमि से अपीलांट को बेदखल करने की धमकी दी जाने पर अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 राजी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से मिली–भगत कर अप्रार्थी संख्या 1 राजीदेवी के पक्ष में नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008 को तस्दीक कर दिया है तथा उक्त नामांतकरण की आड़ में राजीदेवी ने विवादित आराजी श्रीमती मीना समदानी को विक्रय कर दी एवं तत्पश्चात् मीना समदानी ने उक्त भूमि कमलादेवी को विक्रय कर दी तथा वर्तमान में भूमि श्रीमती कमलादेवी के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 837 दिनांक 12.6.2012 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अतः नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008, नामांतकरण संख्या 760 दिनांक 6.4.2011 एवं नामांतकरण संख्या 837 दिनांक 12.6.2012 को अपास्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 4.6.2016 द्वारा अपीलांट की अपील को अपास्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह तील अलग–अलग अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अपील संख्या 2/2017 (2017/00003), अपील संख्या 4/2017 (2017/00002) के रेस्पोडेंटस के अभिभाषका अनुपस्थित । अपील संख्या 3/2017 (2017/0001) के रेस्पो0 संख्या 1 के उपस्थित होने पर तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी को मूल खातेदार मांगू पुत्र सूरजमल गुर्जर से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा तत्समय संबंधित तहसील में नामांतकरण किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था इसके बावजूद ग्राम

पंचायत ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में विरासतन नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 2012.2008 को तस्दीक करने में त्रुटि कारित की है । विवादित भूमि जरिये विरासत से राजीदेवी के नाम दर्ज होने पर राजीदेवी ने विवादित भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के श्रीमती मीना समदानी को विक्रय कर दी तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में मीना समदानी के नाम नामांतकरण संख्या 760 दिनांक 6.4.2011 को तस्दीक किया गया जो अवैध एवं प्रभाव शून्य है । इसी प्रकार श्रीमती मीना समदानी द्वारा विवादित भूमि का बेचान श्रीमती कमलादेवी रेस्पो0 संख्या 1 (अपील संख्या 3/2017 (2017/0001) को किये जाने पर कमला देवी के नाम नामांतकरण संख्या 837 दिनांक 12.6.2012 को तस्दीक किया गया है । उक्त सभी नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र के बाद किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर तस्दीक किये जाने से प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि दिनांक 18.1.2016 को प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 4.4.2016 की नियत की गई थी तथा दिनांक 4.4.2016 को प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 22.8.2016 की तारीख पेशी प्रदान की गई किन्तु प्रकरण को दिनांक 4.4.2016 को ही बिना अपीलांट को सूचित किय कैम्प कोर्ट सीदडियास में नियत कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिक प्रक्रिया का उल्लघंन होकर निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में माना है कि वादग्रस्त आराजी को अपीलांट ने दिनांक 1.9.2007 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से मूल खातेदार मांगू पुत्र सूरजमल से क्रय किया है जिसका वह उपयोग व उपभोग करती चला आ रहा है किन्तु वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात में कमलादेवी पत्नी रामेश्वरलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है । अतः अपीलांट उक्त खातेदार के पंजीयन दस्तावेज को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे जबकि उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत प्रकरण में मात्र यह देखना था कि विवादित नामांतकरण विधि द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार तस्दीक किया गया है अथवा नहीं । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि खातेदार मांगू द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजियात का बेचान अपने जीवनकाल में अपीलांट के पक्ष में करने के उपरांत मांगू के वारिसानों का विवादित आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रह गया था तथा उक्त विक्रय बाबत् श्रीमती राजी को भी ज्ञान था इसके बावजूद राजी द्वारा विवादित आराजियात का पश्चात्वर्ती बैचान रेस्पो0 संख्या 1 मीना समदानी को तथा मीना समदानी द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 कमलादेवी को किया गया है जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है तथा उक्त पश्चात्वर्ती बेचान के आधार पर तस्दीक नामांतकरण संख्या क्रमशः 667 दिनांक 20.12.2008, नामांतकरण संख्या 760 दिनांक 6.4.2011 एवं नामांतकरण संख्या 837 दिनांक 12.6. 2012 भी प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर रेस्पो0 राजीदेवी के पक्ष में वसीयत के आधार पर तस्दीक नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008, मीना समदानी के पक्ष में स्वीकृत

नामांतकरण संख्या 760 दिनांक 6.4.2011 एवं कमलादेवी के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 837 दिनांक 12.6.2012 को अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण दिनांक 4.4.2016 को नियत था जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.8. 2016 की नियत की गई थी किन्तु उक्त प्रकरण के साथ दो अन्य प्रकरण रेणू जैन बनाम संतोष प्रकरण संख्या 30/2013 व 31/2013 भी नियत थे जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा उक्त दिनांक 22.8.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.11.2016 की प्रदान की गई, जबकि उक्त पकरण उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये कैम्प कोर्ट सीदडियास में दिनांक 4.6.2016 को नियत कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलांट को आगामी तारीख दिनांक 28. 11.2016 बताई गई थी । दिनांक 28.11.2016 को उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण दिनांक 4.4. 2016 को ही कैम्प कोर्ट में निर्णित कर दिया है । तत्पश्चात् अपीलांट ने दिनांक 9.12.2016 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं उसी दिन नकल प्राप्त कर अधिवक्ता से कानूनी राय लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अधिवक्ता की की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 कमलादेवी अपील संख्या 3/2017 (2017/00001) ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है। रेस्पो0 ने विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के मीना समदानी से क्रय की है तथा उक्त क्रय की पालना में रेस्पो0 कमलादेवी के नाम नामांतकरण संख्या 837 दिनांक 12.6.2012 को स्वीकृत किया गया है । पूर्व में यह भूमि मांगू के नाम दर्ज थी तथा मांगू की मृत्यु उपरांत विवादित आराजी उसकी पत्नी राजीदेवी के नाम जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 760 दिनांक 20.12.2008 को दर्ज की गई थी । उक्त भूमि राजीदेवी के नाम दर्ज होने के उपरांत राजीदेवी द्वारा विवादित भूमि रेस्पो0 मीना समदानी को पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान किये जाने पर मीना समदानी के नाम नामांतकरण संख्या 760 दिनांक 6.4. 2011 को स्वीकृत किया गया था । रेस्पो0 कमलादेवी ने मीना समदानी से विवादित भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । अपीलांट ने जो प्रार्थना पत्र नामांतकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किये है वे सभी विरासतन नामांतकरण तस्दीक किये जाने की दिनांक के बाद के है । रेस्पो0 सद्भाविक क्रेता है । अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि राजीदेवी को मांगू द्वारा किये गये विक्रय पत्र की प्रारंभ से जानकारी रही हो । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि नामांतकरण की कार्यवाही में पंजीकृत विक्रय पत्र को चुनौती नही दी जा सकती है ।

अपीलांट ने विक्रय के उपरांत इतने लम्बे समय तक नामांतकरण की कार्यवाही नहीं किये जाने तथा अधी0न्याया0 के निर्णय के विरूद्ध अपील विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई संतोषप्रद कारण अपने प्रार्थना पत्र एवं अपील में प्रस्तुत नहीं किये है । अधी0न्याया0 के निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो0 ने आर0आर0टी0 2015 (1) उच्च न्यायालय पेज 232, सी0सी0सी0 2017 (1) छत्तीसगढ़ पेज 222, आर0आर0टी0 2013 (2) उच्च न्यायालय पेज 1054 एवं आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 1221 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का मूल खातेदार मांगू पुत्र सूरजमल गुर्जर था । मांगू पुत्र सूरजमल की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात का विरासत का नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008 को रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती राजी पत्नी मांगू गुर्जर के नाम तस्दीक किया गया है । इसके विपरीत अपीलांट का कथन है कि अपीलांट ने विवादित आराजी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 1.9. 2007 को क्रय की थी तथा उक्त क्रय के आधार पर अपीलांट ने तहसीलदार के समक्ष नामांतकरण हेतु समय-समय पर आवेदन किये थे । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों बाबत् नामांतकरण स्वीकृत करवाने की फोटो प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने दिनांक 13.7.2010 को प्रार्थना पत्र तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रस्तुत किया है । इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध है किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई तिथि अंकित नहीं है । इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना दिनांक 5.7. 2010 बाबत् नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध है । उक्त समस्त प्रार्थना पत्र मृतक मांगू की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती राजी के नाम विरासत के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008 के पश्चात् के है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्रीमती राजी पत्नी मांगू के नाम विरासत नामांतकरण संख्या 667 तस्दीक होने के उपरांत श्रीमती राजी ने विवादित आराजी श्रीमती मीना समदानी पत्नी सत्यनारायण समदानी,

निवासी भीलवाड़ा को दिनांक 11.3.2011 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बेचान की थी तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती मीना समदानी के नाम नामांतकरण संख्या 760 दिनांक 6.4.2011 को तस्दीक किया गया है । विवादित भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 760 दिनांक 6. 4.2011 के मीना समदानी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के उपरांत मीना समदानी ने विवादित आराजियात श्रीमती कमला देवी पत्नी रामेश्वरलाल विजयवर्गीय को दिनांक 23.12.2011 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बेचान कर दी तथा उक्त विक्रय पत्र की पालना में विवादित भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 837 दिनांक 12.6.2012 को स्वीकृत किया है । इस प्रकार वर्तमान में विवादित भूमि श्रीमती कमला देवी पत्नी रामेश्वरलाल विजयवर्गीय के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । उपरोक्त तथ्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि श्रीमती राजीदेवी द्वारा मीना समदानी को तथा मीना समदानी द्वारा कमलादेवी को किये गये विक्रय पत्र सद्भाविक है ।

8- विवादित भूमि खातेदार मांगू की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी श्रीमती राजी के नाम जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के उपरांत श्रीमती राजी द्वारा श्रीमती मीना समदानी को पंजीकृत विक्रय से बेचान किया तथा मीना समदानी ने श्रीमती कमला देवी को बेचान किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली से यह भी पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण हेतु समस्त प्रार्थना पत्र मृतक मांगू की मृत्यु उपरांत रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती राजी के नाम विरासत के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008 के पश्चात् के है । अपीलांट ने ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि श्रीमती राजी को मांगू द्वारा अपीलांट के पक्ष में किये गये विक्रय की प्रारंभ से जानकारी रही हो । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अपीलांट के पक्ष में स्व0 मांगू गुर्जर द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बेचान किये जाने पश्चात् रेस्पो0 मीना समदानी एवं श्रीमती कमला देवी के पक्ष में किये गये बेचान पश्चात्वर्ती बेचान होने से प्रारंभ से प्रभावहीन व शून्य है । अपीलांट का उक्त कथन मान्य नहीं है क्योंकि मूल खातेदार मांगू द्वारा अपीलांट के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रय पत्र के पश्चात् श्रीमती मीना समदानी एवं श्रीमती कमला को बैचान मूल खातेदार मांगू द्वारा नहीं किये जाकर खातेदार मांगू की मृत्यु उपरांत श्रीमती राजीदेवी के नाम विरासतन नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008 को स्वीकृत होने पर श्रीमती राजी देवी द्वारा रेस्पो0 मीना समदानी को तत्पश्चात् मीना समदानी द्वारा रेस्पो0 कमलादेवी को बैचान किये गये जाने से उक्त बैचान पश्चावत्वर्ती विक्रय की श्रेणी में नहीं माने जा सकते है । यदि उक्त विक्रय अपीलांट के विक्रेता मांगू द्वारा किये जाते तो निश्चित रूप से पश्चात्वर्ती विक्रय श्रेणी में होकर प्रभावहीन व शून्य होते ।

9- श्रीमती राजी द्वारा उसके नाम विरासत के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण संख्या 667 दिनांक 20.12.2008 के उपरांत विवादित भूमि का सद्भाविक रूप से श्रीमती मीना समदानी को तथा मीना समदान द्वारा श्रीमती कमला

देवी को विक्रय किया गया है । वर्तमान में विवादित भूमि श्रीमती कमला देवी के नाम जरिये नामांतकरण संख्या 837 दिनांक 12.6.2012 से दर्ज है । श्रीमती राजी देवी द्वारा श्रीमती मीना समदानी तत्पश्चात् श्रीमती मीना समदानी द्वारा श्रीमती कमला देवी के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है । अपीलांट उपरोक्त विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना तथा स्वंय के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण की अपील में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.6.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पाये जाते है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 02/2017 (2017/00003) बउनवानी श्रीमती सरोज मेहता बनाम श्रीमती राजी, अपील संख्या 4/2017 (2017/00002) बउनवानी श्रीमती सरोज मेहता बनाम श्रीमती मीना समदानी एवं अपील संख्या 3/2017 (2017/00001) श्रीमती सरोज मेहता बनाम श्रीमती कमलादेवी को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या क्रमशः 32/2013, 29/2013 एवं 33/2013 में पारित निर्णय दिनांक 4.6.2016 यथावत् रखे जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 25.1.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर